न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 110 / 2022(2022 / 337)

1. दिलीप कुमार पुत्र श्री लालूराम बैरवा।
2. बनवारी पुत्र श्री लालूराम बैरवा।
3. लाडदेवी पत्नी श्री लालूराम बैरवा।
4. शिवकुमार पुत्र श्री लालूराम बैरवा।

सभी जाति बैरवा निवासी घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर।

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. बन्टी मीणा पुत्र रामप्रसाद मीणा।
2. कंचनदेवी पत्नी श्री रामप्रसाद मीणा।
3. नारायण पुत्र श्री जग्गा गुर्जर।
4. शिशुपाल पुत्र जग्गा गुर्जर।
5. जयपाल मीणा पुत्र हरनाथ मीणा।

   निवासीगण नापाखेड़ा तहसील सावर जिला अजमेर।
6. हरिराम पुत्र श्री लादू शर्मा निवासी घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर।
7. रामप्रसाद पुत्र श्री चुन्नीलाल गुर्जर निवासी रात्या तहसील सावर जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सावर जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–

प्रार्थी वकील :– श्री सीताराम कुमावत

पराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 6.7.2022

पत्रावली आज न्यायालय मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2073–75** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
933–1282	4511 / 6435	0.30	बारानी 1
	किता 1	रकबा 0.30हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थीगण ही आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा हैं। प्रार्थी ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा हैं। इस प्रकार वर्णित आराजी एकमात्र प्रार्थीगण के कब्जे, काश्त, उपयोग उपभोग की आराजी है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है, जिसके कारण मौके पर विवाद होने की आशंका पैदा हो गई है। इसलिए पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह को नष्ट कर आराजीयात के हिस्से पर कब्जा करने पर [illegible] हो रहे हैं सीमा चिन्हों को मौके पर नष्ट कर दिया जिससे उक्त आराजीयात का स्थायी सीमा ज्ञान

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

पत्थरगढी से करवाया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढी नही करवाई गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा मौके पर लडाई झगडा एवं अशांति होगी तथा अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढेगी। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 8 को सीमा ज्ञान हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 8 ने कहा कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी से पत्थरगढी के आदेश लेकर आओ अत प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे स्थिति है। प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजीयात पर पत्थरगढी कराने के आदेश करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 स्वयं उपस्थित होकर जवाब मे पत्थरगढी किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना बताया उनके हस्ताक्षर करवाये गये। अप्रार्थी संख्या 8 जर्य पैराकार सरकार द्वारा राजहित प्रभावित नही होना बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अत. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम घटियाली तहसील सावर की जमाबन्दी सवत 2073–75 के खाता संख्या नया पुराना 933–1282 के खसरा संख्या 4511/6435, रकबा 0.30हेक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)